भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टेली/9(3)/4 नई दिल्ली, दिनांक 15/12/2015

टेलीकॉम परिपत्र सं. 12/2015

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें,
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, महानिरीक्षक/आरपीएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली में नई उत्पादन इकाइयां,
निदेशक/इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरमी, इरिटम,
अध्यक्ष, सभी भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड।

विषय:- रेलवे वॉयस नेटवर्क का आधुनिकीकरण - समीक्षा
संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 12/09/2012 का समसंख्यक पत्र

****

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के अनुसार योजनाबद्ध किए गए विज़न-2020 दस्तावेज़ में रेलवे के वॉयस नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दृष्टि से भारतीय रेलों पर वीओआईपी आधारित टेलीफोन को आरंभ करने की योजना का सुझाव देने के लिए गठित की गई तकनीकी समिति की सिफारिशें अनुपालन के लिए रेलों को भेजी गई थी। लेकिन, केवल एस्टरिस्क आधारित ओपन सोर्स टेलीफोनी सॉफ्टवेयर का प्रावधान होने के कारण रेलें इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना कर रही थीं।

2. बोर्ड कार्यालय में उपर्युक्त मामले की समीक्षा की गई है और संशोधित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(i) भारतीय रेलों पर आईपी टेलीफोनी को अपनाने के लिए एसआईपी प्रोटोकोल की पसंद का होना चाहिए।
(ii) केवल "ओपन स्टैंडर्ड" पर आधारित आईपी एक्सचेंज की खरीद भविष्य में रेलवे दूरसंचार संबंधी आवश्यकता के लिए की जानी चाहिए।
(iii) इरिसेट द्वारा अ.अ.मा.सं. के सहयोग से प्रशिक्षण मॉडयूल की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि रेल कर्मचारियों को "ओपन स्टैंडर्ड" टेलीफोनी सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके।
(iv) अ.आ.मा.सं. द्वारा "ओपन स्टैंडर्ड" पर आधारित आईपी टेलीफोनी की जांच की जानी चाहिए और भारतीय रेलों में इसके कार्यान्यन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

MODERNISATION

(v) रेलनेट का आईपी टेलीफोनी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, रेलनेट पर पीओई स्विच और क्यूओएस का उपयोग किया जाना चाहिए।

(vi) अलग कॉन्टेक्सट का इस्तेमाल करते हुए इंटरकॉम और रेलवे टेलीफोन पर कॉमन आईपी टेलीफोनी अवसंरचना का उपयोग किया जाना चाहिए।

(vii) फैक्स कनेक्टिविटी के लिए एफएक्सएस गेटवेज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पीएसटीएन कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के लिए एफएक्सओ/पीआरआई गेटवे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(viii) ध्वनि संचरण के लिए एनजीएन और रेलनेट के बीच इंटर-कनेक्टिविटी हेतु सेशन बोर्डर कंट्रोलर्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ix) रेलनेट की एक्सेस एलएएन में पीओई स्विचों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आईपी टेलीफोन, नेटवर्क स्विचों से पावर ले सके।

(x) रेलनेट की एलएएन और डब्ल्यूएएन में क्यूओएस लागू किए जाने चहिए।

(xi) टेलीकॉम परिपत्र सं. 12/2012 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को रद्द माना जाता है।

(हरीश पवारिया)
निदेशक/ दूरसंचार
फैक्स: 011-23384481, 030-44690
ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:-

(i) सीएसटीई/सभी भारतीय रेलें।
(ii) सीएमडी/रेलटेल
(iii) सीएओ/आईआरपीएमयू
(iv) कार्यपालक निदेशक/टेली/अ.अ.मा.सं./लखनऊ